ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / 2016 /   लखनऊः दिनांक 21/12/2016

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन / विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 अशोक कुमार आर्या–	स्व0 सन्त राम	15.07.1953	31.07.2013	एम0एस0 नेत्र	जिला चिकित्सालय, झांसी
2.	डा0 शशीकान्त गुप्ता–6144	स्व0 पूरन मल गुप्ता	03.06.1954	30.06.2014	डी0एम0आर0डी0 (रेडियोलाजी)	एस0एन0एम0 चिकित्सालय फिरोजाबाद
3.	डा0 मदन लाल–7499	स्व0 मिट्ठन लाल	01.08.1954	31.07.2014	डी0ए0	जिला चिकित्सालय आगरा
4.	डा0 आशा भारती–5090	श्री रूप राम	02.12.1953	31.12.2013	डी0जी0ओ0	जिला चिकित्सालय रायबरेली
5.	डा0 सूरज पाल सिंह शाक्य–5703	श्री जगदीश प्रसाद शाक्य	25.12.1953	31.12.2013	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय पीलीभीत
6.	डा0 कृष्ण प्रताप सिंह–5245	स्व0 काशी नाथ सिंह	08.07.1953	31.07.2013	डी0एम0आर0डी0	जिला चिकित्सालय, गाजीपुर
7.	डा0 अनन्त प्रकाश मिश्रा–5460	स्व0 बाबू राम मिश्रा	15.01.1953	31.01.2013	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय सीतापुर
8.	डा0 महावीर सिंह–4085	स्व0 मंगलू सिंह	01.07.1953	30.06.2013	डी0ए0	जिला महिला चिकित्सालय मेरठ
9.	डा0 राज कुमार गर्ग–5519	श्री महावीर प्रसाद गर्ग	02.12.1952	31.12.2012	डी0ए0	जिला महिला चिकित्सालय मेरठ
10.	डा0 सुनील कुमार जैन–5957	स्व0 मूलचंद जैन	21.08.1955	31.08.2015	नेत्र रोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय बागपत
11.	डा0 शोभारानी द्विवेदी–5025	डा0 पी0के0 द्विवेदी	27.01.1954	31.01.2014	डी0जी0ओ0 एवं एम0डी0 (ऑब्स गाइनी)	वी0अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंल, लखनऊ
12.	डा0 अश्वनी कुमार गंगवार–3970	श्री अनुमान सिंह	07.07.1953	31.07.2013	डी0ओ0एम0एस0	लो0ब0आर0एन0 संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ
13.	डा0 राजीव कुमार चित्रांशी–4457	स्व0 रामेश्वर प्रसाद चित्रांशी	13.04.1953	30.04.2013	डी0 आर्थ0	लो0ब0आर0एन0 संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ
14.	डा0 निरूपमा श्रीवास्तव–5114	श्री के0एन0 सिन्हा	03.07.1955	31.07.2015	डी0जी0ओ0	लो0ब0आर0एन0 संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ
15.	डा0 नानक चन्द–5639	स्व0 राम फल सिंह	01.08.1954	31.07.2014	डी0ए0	जिला चिकित्सालय (पुरुष) मैनपुरी
16.	डा0 शशांक श्रीवास्तव–4092	स्व0 सी0एम0 श्रीवास्तव	18.07.1954	31.07.2014	डी0टी0सी0डी0	यू0एच0एम0 जिला पुरूष चिकित्सालय कानपुर नगर
17.	डा0 राम फुलार–6092	स्व0 वंशी राम	03.07.1954	31.07.2014	डी0सी0एच0	मण्डलीय जिला चिकित्सालय पुरूष मिर्जापुर